न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 10/2017 राजस्व वाद

उनवान

1. किशन लाल पुत्र श्री नन्दराम नि. मोहनपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
2. बंशी लाल पुत्र श्री नन्दराम नि. मोहनपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
3. भंवर लाल पुत्र श्री नन्दराम नि. मोहनपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
4. श्याम लाल पुत्र श्री नन्दराम नि. मोहनपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
5. मदन लाल पुत्र श्री प्यारचन्द नि. मोहनपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
6. छोटू लाल पुत्र श्री प्यारचन्द नि. मोहनपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
7. मांगी देवी पुत्री श्री प्यारचन्द नि. मोहनपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
8. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री प्यारचन्द नि. मोहनपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
9. गोवर्धन लाल पुत्र स्व0 श्री कन्हेया लाल नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती कमला पत्नी श्री कन्हैया लाल निवासी मोहनपुरा तह हमीरगढ।
10. श्रीमती कमला पत्नी श्री कन्हैया लाल नि. मोहनपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—— **(वादीगण)**

बनाम

1 शंकर पुत्र श्री नोला नि. मोहनपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

3 उपपंजीयन, पंजीयन कार्यालय हमीरगढ जिला भीलवाडा

——(प्रतिवादीगण)

वादपत्र बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेद्याज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,89,92(क) 188 आर0टी0ए0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 जा.दी.

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी (अधिवक्ता वादीगण)
2. श्री प्रवीण चौरडिया (अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01)

दिनांक– 05.05.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा विपक्षीसंख्या 01, और से प्रस्तुत एक प्रार्थनापत्र दिनांक 22.05.20[illegible]गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर बहस उभयपक्ष [illegible] गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने द्वारा [illegible] आदेश 7 नियम 11 [illegible] में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:00:11 IST
Reason: SelfAttested

ण्ड अधिकारी
ढ़, जिला-भीलवाड़ा

तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 शंकरलाल के पिता नोला जी की स्वअर्जित जायदाद है और पुश्तैनी जायदाद नही है। इस कारण प्रतिवादी शंकरलाल की जायदाद में वादीगण का कोई अधिकार, हक अंश या आधिपत्य न तो है और न ही कभी रहा। प्रतिवादी संख्या 01 शंकरलाल के पिता नोला की स्वय अर्जित जायदाद होने से वादीगण को वादग्रस्त जायदाद बाबत कोई वाद हेतु उत्पन्न नही होता है। वादग्रस्त आराजियात प्रारम्भ से ही नोला जी के नाम पर तत्पचात प्रतिवादी संख्या 01 शंकरलाल के नाम पर होकर 50 वर्षो से भी अधिक समय से राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। मौके पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा एवं उपयोग उपभोग प्रतिवादी संख्या 01 शंकरलाल व उसके पिता श्री नोला जी का ही चला आ रहा है और यह तथ्य वादीगण व उसके पूर्वजों की जानकारी में है। इस प्रकार वादीगण का यह वाद परिसीमा से परे इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।वादग्रस्त आराजियात में 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रतिवादी शंकरलाल व उसके पिता नोला जी के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और इनत तथ्यों की जानकारी वादीगण व उसके पूर्वजों है। मौके पर कब्जा 50 वर्षो से बिना रोकटोक एवं निरन्तर शंकरलाल व उसके पिता श्री नोला जी का चला आ रहा है और वादीगण की भी यह जानकारी में है और वादीगण व उसके पूर्वज भी सहमत थे, वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 50 वर्षो तक वादीगण व उसके पूर्वजों ने कभी कोई आपत्ति नही उठाई । इस प्रकार वादीगण विबन्ध से बाधित है तथा मात्र अवैध लाभ कमाने के दुराशय ये यह वाद पेश किया है। जिसमें वादीगण की न तो लोकसस्टेडाई है और न ही वादीगण को कोई वाद हेतुक प्राप्त है और दावा परिसीमा से परे होने तथा विबन्ध से बाधित होने से विधि बाधित(Bar by Law) है। प्रतिवादी संख्या 01 शंकरलाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वादपत्र इसी स्तर पर सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी में इंगित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त जायदाद स्वअर्जित नही होकर पुश्तैनी है उक्त वादपत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा का होकर धारा– 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसमें मियाद लादू नही है। वादग्रस्त जायदाद पर शुरू से ही वादी व वादी के पूर्वजो का कब्जा है दावा दायरी के समय व वर्तमान में भी वादी का ही कब्जा है। धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम में मियाद अधिनियम लागू नही है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने प्रार्थनापत्र में जो उज्जरदारी उठाये गये उन्ही विन्दुओं को प्रतिवादी जवाबदावे में उठा सकता है एवं इन विन्दुओ पर तनकियात कायम कर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से तनकियात की जायेगी। प्रतिवादी का जवाब पेश हो चुका है। वादी का जवाब स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:00:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

उभयपक्षों ने बहस मे अपने अपने अभिवचनों को दोहराते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी व जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया तथा वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत बहस पर गौर किया। वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 शंकरलाल के पिता नोला जी की स्वअर्जित जायदाद है और पुश्तैनी जायदाद नही है। इस कारण प्रतिवादी शंकरलाल की जायदाद में वादीगण का कोई अधिकार, हक अंश या आधिपत्य न तो है और न ही कभी रहा है। वादग्रस्त आराजियात में 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रतिवादी शंकरलाल व उसके पिता नोला जी के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और इनत तथ्यों की जानकारी वादीगण व उसके पूर्वजों है। मौके पर कब्जा 50 वर्षो से बिना रोकटोक एवं निरन्तर शंकरलाल व उसके पिता श्री नोला जी का चला आ रहा है और वादीगण की भी यह जानकारी में है और वादीगण व उसके पूर्वज भी सहमत थे, वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 50 वर्षो तक वादीगण व उसके पूर्वजों ने कभी कोई आपत्ति नही उठाई । इस प्रकार वादीगण विबन्ध से बाधित है तथा मात्र अवैध लाभ कमाने के दुराशय ये यह वाद पेश किया है। जिसमें वादीगण की न तो लोकसस्टेडाई है और न ही वादीगण को कोई वाद हेतुक प्राप्त है और दावा परिसीमा से परे होने तथा विबन्ध से बाधित होने से विधि बाधित(Bar by Law) है। इन परिस्थितियों के विपरीत इन तथ्यों पर वादीगण अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस प्रतिरोध में अपने तर्को से कोई ठोस खण्डन के रूप में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने जवाब प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं कराया है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि वास्तव में वादपत्र पोषणीय होकर चलने योग्य है।

—:: आदेश ::—

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 10/2017 बनावटी व झुठे तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत हुआ माना जाकर पोषणीय नहीं होने से खारीज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पक्षकार खर्चा अपना अपना स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी,
हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:00:11 IST
Reason: SelfAttested